

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगाथिया बनाम सतीशदास परसादी ठेकेर

वमनपुरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 44/2017

निर्णय दिनांक :- 26/10/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम वमनपुरा की आ.ख.न. 16 कुल रकबा 1.57 किस्म जमीन तमिड में से 0.01 रकबे पर श्री सतीशदास परसादी ठेकेर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर तमिड कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगाथिया द्वारा दिनांक 24/11/17 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. कौदाका के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी सतीशदास परसादी जाति ठेकेर निवासी वमनपुरा को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी सतीशदास उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। फ़ारुख उक्त रकबवा आ.ख.न. 16 रकबा 1.57 में से 0.01 रकबे किस्म तमिड है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायस को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 paise का 50 गुणा 3/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगाथिया भू.अ.निरी. कौदाका को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/10/17

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)